# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 229 सन 2018

अनवान :—

1. रोहताश कुमार उर्फ सुलतान पुत्र दोलतराम जाति जाट निवासी खारा तहसील पीलीबंगा

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

**निर्णय दिनांक :— 12.02.2019**

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 52/7 के खसरा न0 355/1 की 13.7210हैक भूमि स्थित है व रोही मोजा ननाउ के खाता संख्या 606/529 के खसरा न0 100/1 की 3.3640हैक भूमि जिसके वादी व प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है उक्त दोनो गांव की भूमियों का नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी का नाम रोहताश कुमार के स्थान पर सुलतान दर्ज कर दिया जो कि सहवन से भूलवंश दर्ज किया गया है वादी का वास्तविक नाम रोहताश कुमार उर्फ सुलतान है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को फायदा नही उठा पा रहा है वादी का नाम संशोधन करने अन्य सयुक्त खातेदारों के हिस्से पर किसी प्रकार का कोई असर नही होता है वादी का नाम अन्य सभी दस्तावेजात भामाशाह कार्ड एवं पहचान पत्र आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड में भी रोहताश कुमार उर्फ सुलतान है वादी अपना नाम सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण रजिस्टर्ड सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने के कारण एकपक्षिय कार्यावाही की जाकर वकील वादी का सुना गया ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 52/7 के खसरा न0 355/1 की 13.7210हैक भूमि स्थित है व रोही मोजा ननाउ के खाता संख्या 606/529 के खसरा न0 100/1 की 3.3640हैक भूमि जिसके वादी व प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है उक्त दोनो गांव की भूमियों का नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी का नाम रोहताश कुमार के स्थान पर सुलतान दर्ज कर दिया जो कि सहवन से भूलवंश दर्ज किया गया है वादी का वास्तविक नाम रोहताश कुमार उर्फ सुलतान है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को फायदा नही उठा पा रहा है वादी का नाम संशोधन करने अन्य सयुक्त खातेदारों के हिस्से पर किसी प्रकार का कोई असर नही होता है वादी का नाम अन्य सभी दस्तावेजात भामाशाह कार्ड एवं पहचान पत्र आधार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कार्ड परिवार राशन कार्ड में भी रोहताश कुमार उर्फ सुलतान है वादी अपना नाम सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने वकील वादी को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 52/7 के खसरा न0 355/1 की 13.7210हैक भूमि स्थित है व रोही मोजा ननाउ के खाता संख्या 606/529 के खसरा न0 100/1 की 3.3640हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम सयुक्त खाता में दर्ज है जिसमें वादी का नाम सुलतान दर्ज किया गया है वादी का कथन है उसका सही नाम रोहताश कुमार है जिसके समर्थन में दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र , भामाशाह कार्ड पेश किया जिसमें वादी का नाम रोहताश कुमार दर्ज है एवं संरपच ग्राम पंचायत की तस्दीक के अनुसार भी वादी का सही नाम रोहताश कुमार है इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं संरपच ग्राम पंचायत की तस्दीक के अनुसार वादी का नाम रोहताश कुमार होना प्रतीत होता है अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 52/7 के खसरा न0 355/1 की 13.7210हैक भूमि स्थित है व रोही मोजा ननाउ के खाता संख्या 606/529 के खसरा न0 100/1 की 3.3640हैक भूमि वादी का नाम सुलतान के स्थान पर रोहताश कुमार उर्फ सुलतान संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

Web Copy - Not Official